न्यायालय कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 121/अ–20(3)/2022–23
ग्राम भागल एवं दांता तह. मनासा

वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल नीमच
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, नीमच
————————————आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन————————————अनावेदक

आदेश
(दिनांक 10 – 05–2023)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच द्वारा पत्र क्रं. 616, 614,612 दिनांक 16.03.2023, के द्वारा उल्लेखित किया कि नया मालाहेड़ा तालाब योजना से प्रभावित वनभूमि रकबा 16.00 हे., कालिया खो जलाशय योजना से प्रभावित वन भूमि रकबा 2.76 हे., गंगाबावडी जालशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि रकबा 3.75 हे. कुल प्रभावित वन भूमि रकबा 22.51 हे. के बदले ग्राम दांता एवं भागल के सर्वे नं. 497, 498 एवं सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 22.51 हे. भूमि वन विभाग को आबंटन किये जाने का अनुरोध किया गया ।

2— प्रकरण में प्रस्तुत पत्र के संबंध में विधिवत जांच एवं प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनासा /नजूल अधिकारी उपखण्ड मनासा को प्रेषित किया । प्रकरण में नायब तहसीलदार कुकडेश्वर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । नियत समयावधि में कोई आपति प्राप्त नही हुई । ग्राम पंचायत दांता/कुण्डालिया से अभिमत प्राप्त । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजस्व मनासा द्वारा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 24.04.2023 से सहमत होते हुए प्रतिवेदित किया कि नया मालाहेड़ा तालाब योजना से प्रभावित वन भूमि के बदले ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497, 498, एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 16.00 हे., कालिया खो जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली भूमि के स्थान पर दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497,498 एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129, 130 में से रकबा 2.760 हे., गंगाबावडी जलाशय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि के स्थान पर ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 129,130 में से रकबा 3.75 हे इस प्रकार कुल रकबा 22.51 हे. भूमि को वन विभाग को नजूल निर्वर्तन नियम नियम 2020 अंतर्गत नियमानुसार हस्तांतरण किये जाने से 2 प्रतिशत चरनोई भूमि प्रभावित नही होती है, प्रस्तावित भूमि संबंधित वन विभाग को हस्तांतरित किए जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया गया ।

कलेक्टर
जिला–नीमच (म.प्र.)

3– राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार कं. 1 – मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय–दो कंडिका 11 के अनुसार राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति को बनाया गया है। उक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा दिनांक 09.05.2023 को हुई बैठक में उपरोक्त प्रकरण की जांच एवं परीक्षण उपरांत सर्व सहमति से ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं.497 रकबा 8.250 हे., में से रकबा 5.05 हे., सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से रकबा 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 22.51 हे. भूमि को प्रभावित वन भूमि के बदले वन विभाग को आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

4– **अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति की अनुशंसा एवं जांचकर्ता अधिकारी के अभिमत के आधार पर ग्राम दांता स्थित भूमि सर्वे नं. 497 रकबा 8.250 हे., में से रकबा 5.05 हे., सर्वे नं. 498 रकबा 10.460 हे. एवं ग्राम भागल स्थित भूमि सर्वे नं. 129 रकबा 9.49 हे. में से रकबा 2.00 हे., सर्वे नं. 130 रकबा 14.80 हे. में से रकबा 5.00 हे.मद ना.का.का. में परिवर्तित करते हुए कुल किता 4 कुल रकबा 22.51 हे. भूमि जल संसाधन विभाग की उक्त योजनाओं में प्रभावित वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल, वन विभाग नीमच को मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय –दो कंडिका 14 के तहत हस्तांतरित की जाती है ।**

10/5/23
(दिनेश जैन) I.A.S.
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

पृ.क. 151/आर.टी.सी./2023 नीमच, दिनांक 10 – 05–2023

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

2– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल जिला नीमच की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा/नजूल अधिकारी मनासा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4– नायब तहसीलदार कुकडेश्वर की ओर भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करना एवं नियमानुसार बटांकन कर कब्जा दिया जाना सुनिश्चित करें।

5– कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

10/5/23
कलेक्टर
जिला नीमच (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर